बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

सं0सं0–9/मुक0–08–04/2018

वित्त विभाग के संकल्प सं0–3ए–2–वे0पु0–18/2009–7566 दिनांक 14.07.2010 से निर्गत रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2010 में निहित प्रावधानानुसार जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन दिनांक 18.09.2019 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में **एम0जे0सी0 सं0–4883/2018 (सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–18500/2017 से उदभूत)** के मामले पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न विभागीय कनीय अभियंता (असैनिक), जिन्हें वेतन बैंड (पी0बी0–3) रूपये 15,600–39,100–ग्रेड पे रूपये 6600/– में द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ /प्रोन्नति प्रदान किया गया था, को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2010 की प्रभावी तिथि 01.01.2009 अथवा प्रथम योगदान की तिथि से 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि इनमें से जो भी बाद में हो, से (उनके नाम के सामने कॉलम–7 में अंकित तिथि से) वेतन बैंड (पी0बी0–3) रूपये 15,600–39,100–ग्रेड पे रूपये 7600/– में तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र. सं.	आई.डी. कोड	कनीय अभियंता का नाम/गृह जिला	जन्म तिथि	से0नि0/मृत्यु /पदत्याग की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि	तृतीय रू0 सु0 वृ0 उ0 का वेतन बैंड (पी0बी0–3) रूपये 15,600–39,100–ग्रेड पे रूपये 7600/–में देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जे.6942	श्री रामेश्वर नाथ सिंह भोजपुर	31-12-1950	31-12-2010	22-03-1979	22-03-2009	

2. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी।

3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

4. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारतण एवं देय लाभों क भुगतान के पूर्व उनके सेवा पुस्त की सम्यक जाँच कर लेंगे एवं जाँचोपरान्त स्वीकृत लाभों में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्तगी, दण्डादेश जो रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना को प्रभावित करता हो) पाया गया हो तो आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर सभी अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नियंत्री पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

5. जिन कर्मियों की सेवा संपुष्टि/स्थायीकरण पूर्व में नहीं हुआ है एवं सेवापुस्त में अंकित नहीं है, उन्हें रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के निर्धारण से पूर्व सेवा संपुष्टि/स्थायीकरण संबंधी मामले का सक्षम प्राधिकार से निष्पादन आदेश निर्गत तिथि से एक माह के अन्दर सुनिश्चित करेंगे। यह नियंत्री पदाधिकारी की जवाबदेही होगी।

6. रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली–2010 के परिशिष्ट–1 वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शर्त एवं प्रक्रिया को कंडिका–4 एवं 7 में निहित प्रावधानों के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा।

7. वित्तीय उन्नयन की देय तिथि के पूर्व पद त्याग/मृत/सेवानिवृत्त/बर्खास्त (न्यायालीय आदेश से सेवा में पुनः बने रहने के आदेश को छोड़कर) वर्त्तमान में निलंबित अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर देय तिथि के पूर्व से नियमित रूप से प्रोन्नत अभियंता के लिए यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

8. लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित वैसे कनीय अभियंता/कनीय अभियंता से प्रोन्नत सहायक अभियंता, जिन्हें वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है, उनके मामले में वैसे कनीय अभियंता निलंबित/जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो। किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लंबित हो। आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लंबित समझी जाएगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोग पत्र (Charge sheet) समर्पित किया गया हो। पूर्व से निर्गत दण्डादेश, जो वित्तीय उन्नयन को प्रभावित करता हो, के संबंध में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आश्वस्त हो लेंगे तदोपरान्त नियमानुसार भुगतान आदि संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। यदि किसी बिन्दु पर भ्रम की स्थिति हो तो पूर्ण प्रस्ताव के साथ विभाग का मार्गदर्शन/आदेश अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

9. भविष्य में पूर्व में निर्गत दण्ड या लंबित आरोप की जानकारी उपलब्ध होने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जाएगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी।

ह0/--
(प्रशान्त कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–09/मुक0–08–04/2018/ पटना/दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/--
(प्रशान्त कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–09 / मुक0–08–04 / 2018 / पटना / दिनांक–

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(प्रशान्त कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–09 / मुक0–08–04 / 2018 / पटना / दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन / बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार / संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) / सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी अवर सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार / सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार / संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक), / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 7, 8, 9, 12, 13, एवं 22 / प्रभारी बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 /
(प्रशान्त कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–09 / मुक0–08–04 / 2018 / 3380 पटना / दिनांक– 20.9.19

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/09/19.
(प्रशान्त कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)